

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0)  
क्रमांक:- प्रार्थना पत्र/38/2024/ दायर दिनांक 29/04/2024

धारा 136 एल.आर.एक्ट

उनवान- भूपेन्द्र कुमार वगै0 पिता जमनालाल जैन नि0 रायपुर तहसील रायपुर

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड़ राज0

-: आदेश :- दिनांक 29/04/2024

उक्त उनवानी प्रकरण मे ग्राम रायपुर तहसील रायपुर जिला झालावाड़ के तरमीम दुरुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रायपुर की अनुशसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रायपुर पटवार मण्डल रायपुर तहसील रायपुर की जमाबन्दी सम्वत 2073-76 मे खाता संख्या 1047, 1048, 1049 में क्रमशः वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि के खसरा नम्बर 2918/2004, 2917/2004, 2916/2004 भूमि की वर्तमान में दर्ज तरमीम को तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शा अनुसार शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद/तरमीम शुद्धि के आदेश एवं जमाबन्दी मे दर्ज गै0 मु0 आवासीय रकबा अनुसार तरमीम कर नये खसरा नम्बरान दर्ज (तीन खसरा नम्बर पृथक-पृथक जनरेट) करने का आदेश दिया जाता है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम रायपुर पटवार मण्डल रायपुर तहसील रायपुर	2916/2004, 2917/2004, 2918/2004	तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार (भाग अ)	तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसार (भाग ब)

संलग्न:- नजरी नक्शा किता-1

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)  
दिनांक 29/04/24

क्रमांक:- राजस्व/2024/38

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार रायपुर को आदेश प्रति भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद/नये खसरा नम्बरान दर्ज कर तरमीम शुद्धि किया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रार्थीगण भूपेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार, शान्तिलाल पिता जमनालाल जैन नि0 रायपुर तहसील रायपुर।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

